देवेन्द्र सिंह चौहान, आई०पी०एस०



डीजी परिपत्र संख्या 10/2023 पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय, गोमती नगर विस्तार लखनऊ—226010 दिनांकः मार्च // , 2023

प्रिय महोदय,

विषय:— रिट (सी) संख्या—1266/2023, प्रेमलता मौर्या बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.02.2023 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

प्रायः यह देखने में आया है कि विभिन्न जनपदों में कितपय भूमि, सम्पत्ति तथा कब्जेदारी सम्बन्धी विवादों में स्थानीय पुलिस द्वारा नियम संगत कार्यवाही न करने के कारण विवादों का स्वरूप और भी विद्रूपित हो जाता है तथा अन्य गम्भीर आपराधिक घटनाएें भी घटित हो जाती है। भूमि सम्बन्धी विवादों के निस्तारण का प्रारम्भिक दायित्व राजस्व विभाग का है, किन्तु समुचित ज्ञान तथा मार्ग दर्शन के अभाव में पुलिस द्वारा नियम विरूद्ध हस्तक्षेप करने से न केवल असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है वरन माननीय न्यायालय द्वारा भी असंतोष प्रकट करते हुये सख्त टिप्पणियाँ की जाती है।

उल्लेखनीय है कि इस सम्बन्ध में पूर्व में भी मुख्यालय एवं शासन स्तर से समय—समय पर विस्तृत दिशा—निर्देश निर्गत किये गये है। किन्तु ऐसा प्रतीत हो रहा है कि निर्गत स्वतः स्पष्ट निर्देशों का पुलिस किमश्नरेट तथा जनपदीय पुलिस द्वारा कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण माननीय न्यायालय द्वारा भी इस सम्बन्ध में टिप्पणी की गयी है। इस तरह के प्रकरणों में समुचित पर्यवेक्षण का अभाव भी स्पष्ट परिलक्षित है।

उपर्युक्त विषयक रिट (सी) संख्याः 1266/2023 प्रेमलता मौर्या बनाम उ०प्र० राज्य व अन्य मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.02.2023 तथा 01.03.2023 में मा० न्यायालय द्वारा दिनांक 16.02.2023 को प्रकरण में सुनवाई के दौरान उ०प्र० पुलिस के कार्मिकों द्वारा निजी व्यक्तियों को अचल सम्पत्ति का कब्जा दिलाने में शामिल होने के अनेक प्रकरण संज्ञान में आने पर असंतोष व्यक्त करते हुये निम्नवत् टिप्पणी की गयी है:—

This Court sitting in Misc. Bench jurisdiction has found that in most of the cases that are filed before this Court, the allegation is against Police Authorities, especially the Station House officer and the Sub-Inspector, In-Charge of the Police Station that they are helping private respondents in taking over forcible possession of the property of the writ petitioners.

The Director General of Police, U.P., is directed to issue a fresh Circular in this regard reminding the Police Officials of the earlier Circulars issued the Police Headquarters, prohibiting the police personnel from interfering in private disputes and to enforce such Circular with all strictness at his command.

2 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा सम्पत्ति विवाद में पुलिस द्वारा हस्तक्षेप न किये जाने के सम्बन्ध में पारित उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में तथा पूर्व में निर्गत परिपत्रों के क्रम में पुन: अपेक्षा की जाती है कि भूमि/सम्पत्ति/कब्जेदारी से सम्बन्धित विवादों में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये:—

• भूमि/सम्पिति/कब्जेदारी के विवाद से सम्बन्धित कोई प्रकरण थाने पर आने के उपरान्त उसकी गम्भीरता का आकलन कर तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों को संज्ञानित कराते हुये स्थानीय कार्यपालक मिजरट्रेट/राजस्व विभाग के अधिकारियों को अवगत कराया जाये। किसी भी पक्ष को कब्जा दिलाने अथवा कब्जा हटवाने का कार्य राजस्व टीम/स्थानीय सक्षम मिजरट्रेट की उपिथिति एवं सक्षम आदेश के उपरान्त ही किया जाये। किसी भी दशा में थाना प्रभारी/उप निरीक्षक अथवा किसी भी पुलिस कर्मी द्वारा अपने स्तर पर कब्जेदारी के विवाद का निस्तारण करते हुए कब्जा दिलाने अथवा कब्जा हटवाने की कार्यवाही न की जाये।

• स्वयंमेव अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जानाः—िकसी भूमि के विधिक स्वामी के अधिकारों में बिना न्यायालय व मिजस्ट्रेट के आदेश के अनावश्यक हस्तक्षेप न किया जाये। सम्बन्धित पुलिस थाने का दायित्व है कि निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए राजस्व विभाग को सूचित कर यथासम्भव विवाद का निराकरण उनके द्वारा करायें। भूमि व राजस्व सम्बन्धी विवादों को सावधानी एवं तत्परता पूर्वक चिन्हित कर उनकी आख्या समय से सम्बन्धित उप जिला मिजस्ट्रेट को लिखित रूप में प्रस्तुत करें तथा तहसील दिवस/समाधान दिवस एवं उक्त के अतिरिक्त राग्वन्धित थाने के उप जिला गिजरट्रेट रो आवश्यक आदेश प्राप्त कर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कराकर समयान्तर्गत तत्परतापूर्वक यथासम्भव निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

• अन्य विभागों की अधिकारिता से सम्बन्धित भूमि विवादों को भी अभिलिखित किया जानाः—इसी प्रकार राजस्व विभाग, नगर निगम एवं स्थानीय विकास प्राधिकरण इत्यादि के माध्यम से भी ऐसे समस्त भूमि सम्बन्धी प्रकरणों जिनमें हिंसा या विवाद की स्थिति हो, को भी चिन्हित कराकर भूमि विवाद रजिस्टर में अभिलिखित करा लिया जाये।

• भूमि विवाद रिजस्टर को अद्यावधिक किया जाना:—प्रत्यके थाने पर भूमि विवाद के सम्बन्ध में प्रचलित रिजस्टर को अद्यावधिक करा लिया जाये, जिसमे बीट आरक्षी के माध्यम से समस्त भूमि सम्बन्धी विवादों को चिन्हित कराकर बीट सूचना अंकित की जाये एवं सीधे प्राप्त प्रार्थना पत्रों व यूपी—112 पर प्राप्त समस्त सूचनाओं को भी बीटवार उक्त भूमि विवाद रिजस्टर में अभिलिखित करा लिया जाये।

• बीट सूचना / निरोधात्मक कार्यवाही:—प्रत्येक थाने पर सिक्वय बीट व्यवस्था पर भूमि विवाद / रंजिश के सभी मामलों को चिन्हित कर बीट सूचना अंकित कराते हुए 107 / 116 द0प्र0सं० के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही एवं भारी राशि से पाबन्द कराने (116(3) द0प्र0सं०) की कार्यवाही तत्परता से की जाय, तािक किसी प्रकार की गम्भीर घटना घटित न होने पाये। पाबन्द व्यक्तियों द्वारा शर्तों का उल्लघंन करने पर सम्बन्धित पक्षकारों के विरूद्ध तत्काल धारा 122(ख) द0प्र0सं० की आख्या प्रस्तुत कर मुचलका धनरािश जब्त कराई जाये।

duranio

- तहसील दिवस/समाधान दिवस/आई०जी०आर०एस० प्रकरणों से सम्बन्धित भूमि विवादों का भूमि विवाद रजिस्टर में अंकन एवं राजस्व विभाग से समन्वय कर त्वरित निस्तारण:—आई०जी०आर०एस०/तहसील दिवस एवं समय—समय पर उच्चाधिकारियों के माध्यम से प्राप्त प्रार्थना पत्र जो भूमि विवाद से सम्बन्धित हो उन्हें भी उक्त विवाद रजिस्टर में अंकित किया जाये। इस प्रकार यह प्रक्रिया सतत् रूप से गत्यात्मक रहेगी। उपरोक्त विवाद रजिस्टर में अभिलिखित प्रविष्टियों को समाधान दिवस पर सम्बन्धित पुलिस अधिकारी/कर्मचारी को अभिदिष्ट किया जाये एवं प्रत्येक विवाद को तार्किक निष्पत्ति (निस्तारण) तक पहुँचाया जाये। इस हेतु जिलाधिकारी से सामंजस्य स्थापित करते हुए मात्र समाधान दिवस के अतिरिक्त अनुगामी दिवसों हेतु रोस्टर बनाकर समस्या का समाधान कराया जाये।
- समाधान दिवस के दौरान थाने पर निस्तारित प्रकरणों के अतिरिक्त ऐसे भूमि विवाद सम्बन्धी प्रकरणों जिनका थाने पर निस्तारण सम्भव नहीं हैं, के निस्तारण हेतु जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीमों का गठन किया जाए जिसमें राजस्व एवं पुलिस विभाग के पर्याप्त संख्या में सदस्य सम्मिलित हों।
- शिकायतों के निस्तारण हेतु जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्रामवार / थानावार / तहसीलवार स्थानीय सुविधानुसार मासिक कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह में 02 दिन निर्धारित किया जाये और उसका अग्रिम रूप से व्यापक प्रचार—प्रसार कराया जाये। जनसामान्य को सूचित कर दिया जाये कि सम्बन्धित पक्षकार कार्यक्रमानुसार अपने साक्ष्यों एवं अभिलेखों सहित मौके पर उपस्थित रहें ताकि संयुक्त टीम द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर यथासम्भव मौके पर ही न्यायोचित कार्यवाही की जा सके एवं शिकायत का निस्तारण किया जा सके।
- जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त टीमों की रवानगी के पूर्व समस्त टीम लीडरों की बैठक आहूत कर मौके पर की जाने वाली कार्यवाही, प्रक्रियात्मक एवं विधिक बिन्दुओं, बरती जाने वाली सावधानियों व कृत कार्यवाही की रिपोर्टिंग आदि के बारे में ब्रीफिंग की जाये तथा उन्हे यह निर्देश दिया जाये कि माननीय न्यायालय में विचाराधीन मामलों को छोड़कर शेष प्रकरणों का समाधान ग्राम के सम्भ्रांत व्यक्तियों की उपस्थित में बातचीत, सुलह समझौता के माध्यम से विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए किया जाये।
- संयुक्त टीम द्वारा समाधान दिवस पर कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त कृत कार्यवाही का पूरा विवरण थाने के जी०डी०/रोनामचाआम में दर्ज किया जाये। अभियान के दौरान मौके पर प्राप्त नई शिकायतों व उन पर कृत कार्यवाही का विवरण भी रोजनामचाआम में दर्ज किया जाये।
- संयुक्त टीमों द्वारा चिहिन्त अति संवेदनशील व अति गम्भीर प्रकरणों में जिलाधिकारी / विरष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक / अपर जिलाधिकारी / अपर पुलिस अधीक्षक एवं उपजिलाधिकारी / क्षेत्राधिकारी द्वारा अपनी उपस्थिति में निराकरण / निस्तारण कराया जाये।

• सुस्पष्ट एवं विस्तृत अभिलेखीकरण— जिन—जिन प्रकरणों का समाधान हो जाये अथवा जिनमें समझौता हो जाये ऐसे प्रकरणों का अभिलेखीकरण इस प्रकार किया जाये कि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग में लाया जा सके। अर्थात प्रत्येक विवाद के सम्बन्ध में सही एवं गलत पक्ष की स्थिति पूर्णतया स्पष्टरूप से अंकित की जाये। यदि उसमें अतिरिक्त सामग्री की आवश्यकता हो तो उसके लिये अतिरिक्त पत्रावलियां निर्गत किया जाये, जिससे उसका भविष्य में प्रयोग किया जा सके।

3— उपरोक्त सम्बन्ध में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीट लखनऊ द्वारा पारित आदेश दिनांकित 16.02.2023 के अनुक्रम में आपसे अपेक्षा है कि उपरोक्त दिशा—िनर्देशों का कड़ाई से अनुपालन एवं सतत् अनुश्रवण कराना सुनिश्चित करें। संलग्नकः यथोपरि।

(देवेन्द्र सिंह चौहान) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०। समस्त पुलिस आयुक्त, उ०प्र०

प्रतिलिपिः समस्त विभागाध्यक्ष, उ०प्र० पुलिस को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेत् प्रेषित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को संलग्नक सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

- 1. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक।
- 2. समस्त पुलिस उपमहानिरीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, जनपद प्रभारी, उ०प्र०।
- 3. पुलिस अधीक्षक (विधि प्रकोष्ठ), मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।